



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
(रेल मंत्रालय का एक उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED  
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

स०-डीएफसीसीआईएल/टुण्डला/एच०आर०/आरटीआई/४०

दिनांक- 05.02.2025

श्री एस० के० पांडा  
उप महाप्रबंधक/एडमिन  
जन सूचना अधिकारी/ डी.एफ.सी.सी.आई.एल.

विषय-सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत श्री सुनील सिंह चौहान पुत्र तुकमान सिंह निवासी 904 आनन्द नगर, दीप सिनेमा के पास इटावा उ० प्र० 206001 का आवेदन दिनांक- 10.01.2025.

सन्दर्भ- आर टी आई स०- 40.

श्री सुनील सिंह चौहान पुत्र तुकमान सिंह निवासी 904 आनन्द नगर, दीप सिनेमा के पास इटावा उ० प्र० 206001 का आवेदन दिनांक- 10.01.2025. के विषय में उत्तर संलग्न कर भेजा जा रहा है।

आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- यथोपरि

(प्रफुल्ल चन्द्र पाण्डेय)  
मुख्य महाप्रबंधक  
डीएफसीसीआईएल  
टुण्डला



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)  
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED  
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

No: - CNB/EN/LA/AU/Y-25/M-02

Date: 05.02.2025


मुख्य महाप्रबंधक  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.  
टुण्डला

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत सुनील सिंह चौहान पुत्र तुकमान सिंह, द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

1. सुनील सिंह चौहान पुत्र तुकमान सिंह, ग्राम ककराही द्वारा दिये गये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2025।

प्रार्थी द्वारा ग्राम ककराही, जिला औरैया में कब्जा दखल के लिये तैयार किये गये Possession Memo की प्रति की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 द्वारा ग्राम-ककराही में अधिग्रहण अभिनिर्णय वाद संख्या 05/2008-09 व 02/2011-12 दिनांक 08.02.2010 व 25.08.2011 के माध्यम से किया गया था। जिसमें उस समय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को अभिनिर्णय दिनांक 08.02.2010 व 25.08.2011 में किसी प्रकार के Possession Memo उपलब्ध नहीं कराये गये थे। परंतु प्रतिकर भुगतान के समय जारी किये गये मुआवजा प्रमाण पत्र में उल्लिखित होता है कि भुगतान प्राप्ति के उपरांत प्रभावित भू-स्वामी परियोजना को कब्जा प्रदान कर देगा। जिसका उल्लेख श्री सुनील सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका-63467/2011 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2016 के लिये मुआवजा प्राप्त करते समय जारी मुआवजा प्रमाण पत्र (संलग्न) में भी उल्लेख है कि श्री सुनील सिंह द्वारा अधिग्रहित की गयी भूमि का स्वामित्व डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 को प्रदान किया जायेगा।

  
सहायक परियोजना प्रबंधक/इजी0  
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.  
न्यू मारुपुर

प्रतिलिपि:


1. उप0 मुख्य परियोजना प्रबंधक, इजी-द्वितीय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कनिष्ठ परियोजना प्रबंधक/मानव संसाधन को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Office Of Asst. Project Manager:-New Bhaupur Jn. (Near Maltha Railway Station) Village-Aliyapur, Post-Maitha,  
District-Kanpur Dehat- Pincode-209307

Prepared by: Arjun Singh, Office Assistant

**E.I.B Vol. V, Part-I, Appendix XI, Form C.C./Possession**

Consolidated Voucher for Payment made during the year ..... in accordance with High Court Order Date-20.09.2016, W.P. No-63467/2011, on account of land Acquired for Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. in the District-Auraiya, Tehsil-Auraiya Badar, Mauza-Umarl and possession of acquired land given by following land owner.

1	2	3	4	5
Sr. No. in Award Statement	Name of Payee	Area of Land	Amount Paid with 60% Solecium (Rs)	Photo & Signature of the Payee For acceptance of payment and handlover the possession of Acquired
2	सुनील सिंह पुत्र सुकगान सिंह	गाट-100 एकमा- 0.1300 हेक्टर 11/28 भाग	2516800.00	<p>अपत्ती सहित प्राप्त</p>  <p>20/11/16</p> <p>keem Subar 23/11/16</p>
		डी.डी.एस कटौती. 10%	251680.00	
		डी.डी.एस कटौती. को उपरान्त देय धनराशि	2265120.00	
	गहोदग, सुनील सिंह पुत्र सुकगान सिंह को में मलीभाति जानता व परधानता धुं, इन्होने मेरे सामने हरताक्षर बनाये।  हो लेखपाल दिनांक 23/11/16  लेखपाल का नाम:-  क्षेत्र:-			<p>अवार्ड मन्ना शीट (कम-11) को प्रति दियाई नहीं और दो भी नहीं</p> <p><b>Total Rs. 2265120.00</b></p> <p>Payment through Draft</p> <p>1. Draft No:- 010456</p> <p>2. Date:- 19-11-16</p> <p>3. Date of Draft distribution:-</p>


नोट- पुनर्वास एवं पुनरर्थापना के लाभ पात्रता के अनुसार अलग से दिया जायेगा।

'aid in my presence/cognizance, through Draft to the nbove persons of total Sum of Rs.-..... Paisa  
..... only.  
In words in the hand writing of the drawing officer.)

**COMPETENT AUTHORITY/  
ADDL. DISTRICT MAGISTRATE  
(L.A.), KANPUR**

**F.I.I.B Vol. V, Part-1, Appendix XI, Form C.C./Possession**

Consolidated Voucher for Payment made during the year ..... in accordance with High Court's Order Date-20.09.2016, W.P. No-63467/2011, on account of land Acquired for Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. in the District-Aurniya, Tehsil-Aurniya Sadar, Mauza-Umari and possession of acquired land given by following land loser.

1	2	3	4	5
Sr. No. in Award Statement	Name of Payee	Area of Land	Amount Paid with 60% Solecium (Rs)	Photo & Signature of the Payee For acceptance of payment and handingover of land
4	सुनील सिंह पुत्र तुकमान सिंह	गाटा-110 रकबा- 0.0730 हे० या 1/2 गाव	1606000.00	<p>जापत्ती सहित प्राप्त</p>  <p>By M. ...</p> <p>Received Subbar 23-11-16</p>
		टी.डी.एस कटौती. 10%	160600.00	
		टी.डी.एस कटौती. के उपरान्त देय धनराशि (रु) में	1445400.00	
	महोदय, सुनील सिंह पुत्र तुकमान सिंह को मे मलीमति जानता व पहचानता हूँ इन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर बनाये। हो लेखपाल दिनांक: 19/11/16 लेखपाल का नाम:- क्षेत्र:-			<p>गवार्ड गणना सीट (फार्म-11) की प्रति दिखाई नडी और दी भी नहीं।</p> <p><b>Total Rs. 1445400.00</b></p> <p>Payment through Draft</p> <p>1. Draft No:- 010458</p> <p>2: Date:- 19-11-16</p> <p>3. Date of Draft distribution:-</p>

टिप:- पुनर्वास एवम् पुनर्स्थापना के लाभ पात्रता के अनुसार अलग से दिया जायेगा।

aid in my presence/cognizance, through Draft to the above persons of total Sum of Rs. .... Paise only.  
( words in the hand writing of the drawing officer.)

**COMPETENT AUTHORITY/  
ADDL. DISTRICT MAGISTRATE  
(L.A.), KANPUR**